रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271354
CG-DL-E-27032026-271354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1554]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1554]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

का.आ. 1619(अ).—जबकि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ii) और (x) तथा उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में दिनांक 6 जनवरी, 2025 को एस.ओ.98(ई) के माध्यम से एक अधिसूचना प्रकाशित की (जिसे इसके बाद संदर्भित किया गया है)। पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 के अनुसार;

और चूंकि पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

"अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v), खंड (vii) और खंड (xiv), धारा 6, धारा 8 तथा धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के साथ पठित,", केंद्र सरकार एतद्वारा पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025 में निम्नलिखित मसौदा संशोधन प्रकाशित करती है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाना है, ताकि इससे प्रभावित होने

वाली जनता को सूचना दी जा सके, और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा संशोधनों पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित अवधि से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा संशोधनों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110003 को भेज सकते हैं या ईमेल पते sohsmd-mef@gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकते हैं।

<u>पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025 में संशोधन का मसौदा</u>

1. (1) इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 में, —

(i) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खंड (य ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(य ग) 'अपशिष्ट प्रबंधन नियमों से अभिप्रात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियमों से है।"

(ii) नियम 4 में, —

(क) उप-नियम (1) के लिए, —

(i) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

"(viii) पिछले वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) में घरेलू बाजार में पेश किए गए वाहनों का विवरण, साथ ही उनमें प्रयुक्त इस्पात, टायर, तेल, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बैटरी और प्लास्टिक की मात्रा (वजन सहित), 30 जून, 2026 तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर प्रपत्र 9 में दिए गए प्रारूप में घोषित करें।

(ii) खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, —

"(xii) कुल वजन में से पुनःप्राप्ति इस्पात के न्यूनतम उपयोग के संबंध में दायित्व को पूरा करना।"

(ख) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् —

"(8) उत्पादक, प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन से उत्पन्न विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों को पूरा करेंगे, जिनमें इस्पात स्क्रैप, जैसे प्रयुक्त तेल, अपशिष्ट टायर, अपशिष्ट बैटरी, ई-अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट शामिल हैं, उन वाहनों के लिए जिन्हें उत्पादक ने घरेलू बाजार में पेश किया है या पेश करता है, जिनमें स्व-उपयोग में लाए गए वाहन भी शामिल हैं, वर्तमान नियमों या संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमों या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत, जैसा लागू हो।

परंतु स्टील स्क्रैप को छोड़कर अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों का अनुपालन लागू नहीं होगा, यदि कोई अन्य उत्पादक या संस्था संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन विनियमों के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट की उन श्रेणियों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

परंतु इस्पात स्क्रैप के अलावा विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट को शामिल करने के लिए, उत्पादक को संबंधित नियमों या इन नियमों या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों को पूरा करना होगा, जैसा लागू हो, और उत्पादक द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय प्रपत्र 1 में इसकी सूचना दी जाएगी।

परंतु आगे की, यदि उत्पादक ने संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन से उत्पन्न अपशिष्टों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा नहीं किया है, तो उत्पादक को अपशिष्ट की ऐसी श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और अनुसूची में निर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के अनुसार इन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करना होगा।

(9) उत्पादक फॉर्म 1 में प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन से उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(10) वाहनों के उत्पादक, संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमों के तहत प्रदान किए गए, प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन से उत्पन्न कचरे के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें इन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व भी शामिल हैं, जो प्रपत्र 1 में दिए गए प्रारूप में होगी।

(iii) नियम 8 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे:

"8क. बीमा कंपनी / बीमाकर्ता की जिम्मेदारियाँ. — (1) बीमा कंपनी / बीमाकर्ता जो वाहनों का बीमा करते हैं, को केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(2) बीमा कंपनी / बीमाकर्ता प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन करेगा तथा उन्हें अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रिकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र सुविधा या अभिहीत संग्रहण केंद्र पर जमा करेगा।

(3) ऐसे वाहनों का विवरण केन्द्रीय बोर्ड / राज्य बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा तथा केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

8ख. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारियाँ.— (1) भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, अपने विनियमों के अंतर्गत, बीमा कंपनियों/बीमाकर्ताओं की जिम्मेदारियों को, विनिर्दिष्ट एवं प्रवर्तित करेगा, जो प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन के संबंध में, जिसमें ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर स्क्रैपिंग भी सम्मिलित है।"

(iv) नियम 9 में,—

(क) उप-नियम (2) में, "या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(2)(क) इन नियमों के अधीन, प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों से उत्पन्न इस्पात स्क्रैप को छोड़कर अन्य अपशिष्ट श्रेणियों, जिनमें प्रयुक्त तेल, अपशिष्ट टायर, अपशिष्ट बैटरियाँ, ई-अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं, के लिए, संबंधित पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र तैयार किए जाएंगे, यदि वे संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमों या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत तैयार किया जाएगा, तो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विकसित एवं प्रवर्तित केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जनित किए जाएंगे।"

(v) नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"9क. पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग.— (1) उत्पादक, बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले नए वाहन में प्रयुक्त इस्पात के कुल भार (ईंधन के भार को छोड़कर) में से न्यूनतम पुनर्चक्रित इस्पात के उपयोग के संबंध में दायित्व का पालन करेगा, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है:

वाहन/वर्ष	वाहन में प्रयुक्त कुल इस्पात के भार में न्यूनतम पुनर्चक्रित इस्पात का उपयोग (प्रतिशत में)			
	2026-27 to 2028-29 (3 वर्ष)	2029-30 to 2031-32 (3 वर्ष)	2032-33 to 2034-35 (3 y वर्ष)	2035-36 तथा उसके पश्चात
सभी वाहन	10	10	10	10

टिप्पण : यदि किसी उत्पादक ने इस्पात युक्त ऑटो पार्ट्स अन्य विनिर्माताओं से प्राप्त किए हैं, तो उत्पादक पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के संबंध में ऑटो पार्ट्स विनिर्माताओं से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।"

(vi) नियम 12 में, उप-नियम (17) में, "रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएँ" शब्दों के स्थान पर "रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएँ, थोक उपभोक्ता, बीमा कंपनियाँ/बीमाकर्ता जो वाहनों का बीमा करते हैं, या इन नियमों के अधीन पंजीकरण के लिए अपेक्षित कोई अन्य इकाई" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(vii) नियम 14 में, उप-नियम (1) में "रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता" शब्दों के स्थान पर "रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, थोक उपभोक्ता और बीमा कंपनी/बीमाकर्ता जो वाहनों का बीमा करते हैं, " शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(viii) उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(क) खंड 7 के लिए,—

(i) सारणी (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(i) गैर-परिवहन वाहनों के लिए:"

वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (भार)
(1)	(2)
2025-26	वित्तीय वर्ष 2005-06 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2026-27	वित्तीय वर्ष 2006-07 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2027-28	वित्तीय वर्ष 2007-08 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2028-29	वित्तीय वर्ष 2008-09 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2029-30	वित्तीय वर्ष 2009-10 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2030-31	वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2031-32	वित्तीय वर्ष 2011-12 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2032-33	वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत

2023-34	वित्तीय वर्ष 2013-14 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2034-35	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2035-36	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2036-37	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2037-38	वित्तीय वर्ष 2017-18 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2038-39	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2039-40	वित्तीय वर्ष 2019-20 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2040-41	वित्तीय वर्ष 2020-21 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2041-42	वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2042-43	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2043-44	वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2044-45	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2045-46	वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 50 प्रतिशत
2046-47	वित्तीय वर्ष 2026-27 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 50 प्रतिशत
2047-48	वित्तीय वर्ष 2027-28 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 50 प्रतिशत
2048-49	वित्तीय वर्ष 2028-29 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 50 प्रतिशत
2049-50	वित्तीय वर्ष 2029-30 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 50 प्रतिशत
2050-51	वित्तीय वर्ष 2030-31 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 60 प्रतिशत
2051-52	वित्तीय वर्ष 2031-32 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 60 प्रतिशत
2052-53	वित्तीय वर्ष 2032-33 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 60 प्रतिशत

2053-54	वित्तीय वर्ष 2033-34 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 60 प्रतिशत
2054-55	वित्तीय वर्ष 2034-35 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 60 प्रतिशत
2055-56 तथा उसके पश्चात	वित्तीय वर्ष 2055-56 के लिए वित्तीय वर्ष 2035-36 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 70 प्रतिशत और बाद के वर्षों के लिए, 20 वर्ष पहले वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 70 प्रतिशत

टिप्पण: किसी भी वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30 प्रतिशत, उसके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अनुपालन के लिए आगामी चार वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

परंतु यह भी कि उपर्युक्तानुसार विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन, नियम 4 के उप-नियम (8) के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों से उत्पन्न अपशिष्ट श्रेणियों के संबंध में किया जाएगा।"

(ii) सारणी (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) परिवहन वाहनों के लिए :"

वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य	**विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (भार)**
(1)	(2)
2025-26	वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2026-27	वित्तीय वर्ष 2011-12 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2027-28	वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2028-29	वित्तीय वर्ष 2013-14 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2029-30	वित्तीय वर्ष 2014-15 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 8 प्रतिशत
2030-31	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2031-32	वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2032-33	वित्तीय वर्ष 2017-18 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2023-34	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत
2034-35	वित्तीय वर्ष 2019-20 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 13 प्रतिशत

2035-36	वित्तीय वर्ष 2020-21 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2036-37	वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2037-38	वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2038-39	वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2039-40	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 18 प्रतिशत
2040-41	वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 55 प्रतिशत
2041-42	वित्तीय वर्ष 2026-27 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 55 प्रतिशत
2042-43	वित्तीय वर्ष 2027-28 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 55 प्रतिशत
2043-44	वित्तीय वर्ष 2028-29 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 55 प्रतिशत
2044-45	वित्तीय वर्ष 2029-30 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 55 प्रतिशत
2045-46	वित्तीय वर्ष 2030-31 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 65 प्रतिशत
2046-47	वित्तीय वर्ष 2031-32 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 65 प्रतिशत
2047-48	वित्तीय वर्ष 2032-33 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 65 प्रतिशत
2048-49	वित्तीय वर्ष 2033-34 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 65 प्रतिशत
2049-50	वित्तीय वर्ष 2034-35 में वाहनों में प्रयुक्त इस्पात का न्यूनतम 65 प्रतिशत
2050-51 तथा उसके पश्चात	वित्तीय वर्ष 2050-51 के लिए वित्तीय वर्ष 2035-36 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 75 प्रतिशत और बाद के वर्षों के लिए, 15 वर्ष पहले वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 75 प्रतिशत

टिप्पण : किसी भी वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30 प्रतिशत, उसके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अनुपालन के लिए आगामी चार वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

परंतु यह भी कि उपर्युक्तानुसार विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का पालन, नियम 4 के उप-नियम (8) के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों से उत्पन्न अपशिष्ट श्रेणियों के संबंध में किया जाएगा।”

(ix) उक्त नियमों के प्रपत्र 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्रपत्र 1

[नियम 4(1)(vii), 4(8), 4(9), 4(10) देखें]

उत्पादक द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 के अधीन]

1	उत्पादक का नाम :	
2	उत्पादक का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता तथा संपर्क विवरण :	
3	अधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पूर्ण पता, ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष संख्या एवं मोबाइल संख्या सहित	
4	जी.एस.टी. संख्या :	
5	टी.आई.एन. संख्या :	
6	वह अनुपालन वर्ष जिसके लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :	

7. अनुपालन वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की गणना जिस वर्ष के बाजार में प्रस्तुत किए गए वाहनों के आधार पर की गई है, उस वर्ष के अनुसार वाहनवार विवरण तथा जिस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष में बाजार में प्रस्तुत किए गए वाहनों का विवरण, नीचे दी गई सारणी के अनुसार

वित्तीय वर्ष (…………)

क्रम संख्या	प्रकार	ब्रांड नाम	वाहनों की संख्या	कुल भार	वाहनों में इस्पात का भार (टन में)	वाहनों में प्लास्टिक का भार (टन में)	वाहनों में टायर का भार (टन में)	वाहनों में तेल का भार (टन में)	वाहनों में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का भार (टन में)	वाहनों में बैटरियों का भार (टन में)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
1	द्विचक्री वाहन (गैर-परिवहन)									
2	त्रिचक्री वाहन (गैर-परिवहन)									
3	चतुर्चक्री वाहन (गैर-परिवहन)									
4	द्विचक्री वाहन (परिवहन)									
5	त्रिचक्री वाहन (परिवहन)									
6	चतुर्चक्री वाहन (परिवहन)									

8. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अनुपालन का विवरण :

अनुपालन वर्ष (वित्तीय वर्ष ....)

क्रम संख्या	अपशिष्ट श्रेणी	संबंधित अपशिष्ट श्रेणी के लिए उत्पादक का नाम	क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य इन नियमों अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन किसी अन्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियमों के अंतर्गत पूर्ण किया जा रहा है (कृपया नियमों का नाम निर्दिष्ट करें)	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अंतर्गत पूर्ण की जाने वाली मात्रा (टन में)	रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं/पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से प्राप्त विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का विवरण (टन में)	रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा/पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता का नाम (यदि किसी विशेष अपशिष्ट श्रेणी में एक से अधिक इकाइयों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हों, तो विवरण निर्दिष्ट करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इस्पात स्क्रैप					
2	अपशिष्ट टायर					
3	प्रयुक्त तेल					
4	ई-अपशिष्ट					
5	अपशिष्ट बैटरियाँ					
6	प्लास्टिक अपशिष्ट					
	कुल					

टिप्पण : स्तंभ (4), (5), (6) और (7) केवल उस स्थिति में भरे जाएंगे जब वाहन उत्पादक संबंधित अपशिष्ट श्रेणी के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हो।

9. अनुपालन वर्ष के दौरान वाहनों के विनिर्माण तथा संचालन/प्रबंधन के दौरान उत्पन्न अन्य इस्पात स्क्रैप का विवरण :

(i) उत्पन्न मात्रा (टन में) :

(ii) रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा/पुनर्चक्रणकर्ताओं को हस्तांतरित की गई मात्रा (टन में) :
(यदि इस्पात स्क्रैप एक से अधिक रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा/पुनर्चक्रणकर्ताओं को हस्तांतरित किया गया हो, तो उसका विवरण निर्दिष्ट करें।)

टिप्पण : विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अनुपालन में उत्पादकों द्वारा स्व-उपयोग हेतु प्रयुक्त वाहन भी सम्मिलित होंगे।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

(x) उक्त नियमों के प्रपत्र 8 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रपत्र 9

[नियम 4(i)(viii) देखें]

उत्पादक द्वारा घोषणा

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 के अधीन]

1	उत्पादक का नाम :	
2	उत्पादक का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता तथा संपर्क विवरण :	
3	अधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पूर्ण पता, ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष संख्या एवं मोबाइल संख्या सहित :	
4	जी.एस.टी. संख्या :	
5	टी.आई.एन. संख्या :	

6. वित्तीय वर्ष …………… से वित्तीय वर्ष ……….. तक घरेलू बाजार में प्रस्तुत किए गए वाहनों का वर्षवार विवरण, नीचे दी गई सारणी के अनुसार :

वित्तीय वर्ष (………….)

क्रम संख्या	प्रकार	ब्रांड नाम	वाहनों की संख्या	वाहनों का कुल भार (टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	द्विचक्री वाहन (गैर-परिवहन)			
2	त्रिचक्री वाहन (गैर-परिवहन)			
3	चतुर्चक्री वाहन (गैर-परिवहन)			
4	द्विचक्री वाहन (परिवहन)			
5	त्रिचक्री वाहन (परिवहन)			

6	चतुर्चक्री वाहन (परिवहन)			
कुल				

7. वित्तीय वर्ष ……….. से वित्तीय वर्ष ……….. तक घरेलू बाजार में प्रस्तुत किए गए वाहनों में प्रयुक्त घटकों की मात्रा (भार में) का वर्षवार विवरण, नीचे दी गई सारणी के अनुसार ::

वित्तीय वर्ष (………….)

क्रम संख्या	प्रकार	इस्पात का भार (टन में)	प्लास्टिक का भार (टन में)	टायर का भार (टन में)	तेल का भार (टन में)	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का भार (टन में)	बैटरियों का भार (टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	द्विचक्री वाहन (गैर-परिवहन)						
2	त्रिचक्री वाहन (गैर-परिवहन)						
3	चतुर्चक्री वाहन (गैर-परिवहन)						
4	द्विचक्री वाहन (परिवहन)						
5	त्रिचक्री वाहन (परिवहन)						
6	चतुर्चक्री वाहन (परिवहन)						
कुल							

8. प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों से उत्पन्न निम्नलिखित अपशिष्ट श्रेणियों के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी अन्य उत्पादक, यदि कोई हो, का विवरण :

क्रम संख्या	अपशिष्ट श्रेणी	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी उत्पादक का नाम, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)
1	अपशिष्ट बैटरियाँ	
2	अपशिष्ट टायर	
3	प्रयुक्त तेल	
4	ई-अपशिष्ट	
5	अन्य अपशिष्ट	

टिप्पण : उत्पादक वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बाजार में प्रस्तुत किए गए वाहनों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

[F. No. HSM-23/55/2021-HSM-Part(1)]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 98(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2026

S.O. 1619(E).— Whereas, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clauses (ii) and (x) of sub-rule (1) and clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.98(E), dated the 6th January, 2025 (herein after referred to as the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025);

And whereas, requests have been received from various stakeholders regarding implementation of provisions of the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v), clause (vii) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3, section 6, section 8 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the following draft amendments to the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025, which the Central

Government proposes to make, for information of the public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft amendments before the period specified will be taken into consideration by the Central Government.

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft amendments may forward the same, within the period of 60 days from the date of publication of this notification in the Gazette, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110003 or electronically at email address: sohsmd-mef@gov.in

DRAFT AMENDMENTS TO THE ENVIRONMENT PROTECTION (END-OF-LIFE VEHICLES) RULES, 2025

1. (1) These rules shall be called the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025, —

(i) In rule 3, sub-rule (1), after clause (zb), the following clause shall be inserted, namely, —

"(zc) "waste management rules" means Extended Producer Responsibility rules for environmentally sound management of wastes notified under the Environment (Protection) Act, 1986.".

(ii) In rule 4, —

(a) for sub-rule (1), —

(i) for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely, —

"(viii) declare the details of vehicles, along with quantity (in weight) of steel, tyres, oil, electrical and electronic products, batteries and plastic used in the vehicles that were introduced in the domestic market in previous Financial Years (from Financial Year 2005-06 to Financial Year 2024-25), by 30th June, 2026, on Extended Producer Responsibility portal in the format as given in Form 9;

(ii) after clause (xi), the following sub-clause shall be added, namely, —

"(xii) fulfil the obligation with respect to the minimum use of recycled steel out of the total weight of steel.";

(b) after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely, —

"(8) Producers shall fulfil the obligations of Extended Producer Responsibility for various categories of waste generated from End-of-Life vehicles including steel scrap, used oil, waste tyres, waste batteries, e-waste and plastic waste, for the vehicles that the producer has introduced or introduces in the domestic market, including the vehicles put to self-use, under the present rules or respective Extended Producer Responsibility regulations or waste management rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986, as applicable.

Provided that compliance of Extended Producer Responsibility obligations are not applicable for the various categories of waste excluding steel scrap, if any other producer or entity is responsible for fulfilling the Extended Producer Responsibility obligations of those categories of waste covered under respective waste management regulations.

Provided that for introducing various categories of waste other than steel scrap, the producer shall fulfil the obligations of Extended Producer Responsibility under respective rules or these rules or waste management rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986, as applicable, and the same shall be reported by the producer in Form 1 while filing annual returns.

Provided further that if the producer has not fulfilled the Extended Producer Responsibility obligations for wastes from End-of-Life vehicles under respective waste management rules, the producer shall procure Extended Producer Responsibility certificates for such categories of waste and fulfil the Extended Producer Responsibility obligations under the present rules as per Extended Producer Responsibility targets specified in the Schedule.

(9) Producers shall furnish the details of the entities responsible for fulfilling the Extended Producer Responsibility obligations for various waste categories generated from End-of-Life vehicles in Form 1.

(10) Producers of vehicles shall furnish a report regarding the compliance of Extended Producer Responsibility targets for recycling of wastes generated from End-of-Life vehicles as provided under respective Extended Producer Responsibility regulations, including Extended Producer Responsibility obligations under these rules, in the format as given in Form 1.".

(iii) after rule 8, the following rules shall be inserted, namely, —

"8A. Responsibilities of insurance company/ insurer. — (1) The insurance companies/ insurers undertaking insurance of vehicles must obtain registration on the centralised online portal from the State Board.

(2) An insurance company/ insurer shall handle the End-of-Life vehicles in an environmentally sound manner and mandatorily deposit the End-of-Life vehicles at Registered Vehicle Scrapping Facilities or designated Collection Centres.

(3) An insurance company/ insurer shall provide the details of End-of-Life vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facilities or designated Collection Centres to Central Board/ State Board and upload it in centralised online portal.

8B. Responsibilities of Insurance Regulatory and Development Authority of India. — (1) Insurance Regulatory and Development Authority of India shall prescribe and enforce the responsibilities of insurance companies/ insurers in respect of environmentally sound management of End-of-Life vehicles, including scrapping of End-of-Life vehicles at Registered Vehicle Scrapping Facilities, in their regulations.".

(iv) in rule 9, —

(a) in sub-rule (2), the words "or other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility" shall be omitted;

(b) after sub-rule 2, the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(2)(A) Extended Producer Responsibility certificates shall be generated by concerned recyclers for other categories of waste including used oil, tyre waste, battery waste, e-waste, and plastic waste from End-of-life vehicles, other than steel scrap, under these rules, in case they are not generated under the respective Extended Producer Responsibility regulations or waste management rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986 on centralised online portal developed and implemented by the Central Board.".

(v) after rule 9, the following rule shall be inserted, namely,—

"9A. Use of recycled content. — (1) A producer shall fulfil the obligation with respect to the minimum use of recycled steel out of the total weight of steel, excluding the weight of fuel, of the new vehicle that is introduced in the market as per the Table below:

Vehicles/Year	**Minimum use of the recycled steel out of total weight of steel in the vehicle (in %)**			
	2026-27 to 2028-29 (3 years)	**2029-30 to 2031-32 (3 years)**	**2032-33 to 2034-35 (3 years)**	**2035-36 onwards**
All Vehicles	10	10	10	10

Note- In case a producer has obtained the auto parts containing steel from other manufacturers, the producer shall furnish certificates from the auto parts manufacturers regarding the use of recycled content of steel."

(vi) in rule 12, for sub-rule (17), for the words "Registered Vehicle Scrapping facilities", the words and figures "Registered Vehicle Scrapping facilities, bulk consumers, insurance companies/ insurers undertaking insurance of vehicles or any other entity required to be registered under these rules," shall be substituted.

(vii) in rule 14, in sub-rule (1), the words "Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer" shall be substituted with the words and figures "Registered Vehicle Scrapping Facility, bulk consumer and insurance companies/ insurers undertaking insurance of vehicles".

(viii) In Schedule to the said rules, —

(a) for clause 7, —

(i) for table (i), the following shall be substituted, namely,—

"(i) For non-transport vehicles:

Extended Producer Responsibility target for Financial Year	**Extended Producer Responsibility target (Weight)**
(1)	(2)
2025-26	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2005-06
2026-27	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2006-07
2027-28	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2007-08
2028-29	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2008-09
2029-30	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2009-10
2030-31	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2010-11
2031-32	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2011-12
2032-33	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2012-13
2023-34	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2013-14
2034-35	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2014-15
2035-36	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2015-16
2036-37	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2016-17
2037-38	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2017-18
2038-39	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2018-19
2039-40	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2019-20
2040-41	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2020-21
2041-42	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2021-22
2042-43	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2022-23
2043-44	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2023-24
2044-45	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2024-25
2045-46	Minimum 50% of the steel used in vehicles in 2025-26
2046-47	Minimum 50% of the steel used in vehicles in 2026-27
2047-48	Minimum 50% of the steel used in vehicles in 2027-28
2048-49	Minimum 50% of the steel used in vehicles in 2028-29
2049-50	Minimum 50% of the steel used in vehicles in 2029-30
2050-51	Minimum 60% of the steel used in vehicles in 2030-31
2051-52	Minimum 60% of the steel used in vehicles in 2031-32
2052-53	Minimum 60% of the steel used in vehicles in 2032-33
2053-54	Minimum 60% of the steel used in vehicles in 2033-34
2054-55	Minimum 60% of the steel used in vehicles in 2034-35
2055-56 and onwards	Minimum 70% of the steel used in vehicles in 2035-36 for 2055-56 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 20 years ago

Note: 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

Provided Extended Producer Responsibility targets as mentioned above shall be fulfilled in case of waste categories generated from End-of-Life vehicles as per sub-rule (8) of rule 4.”;

(ii) for table (ii), the following shall be substituted, namely,—

“(ii) For transport vehicles:

Extended Producer Responsibility target for Financial Year	**Extended Producer Responsibility target (Weight)**
(1)	(2)
2025-26	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2010-11
2026-27	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2011-12
2027-28	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2012-13
2028-29	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2013-14
2029-30	Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2014-15
2030-31	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2015-16
2031-32	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2016-17
2032-33	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2017-18
2023-34	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2018-19
2034-35	Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2019-20
2035-36	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2020-21
2036-37	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2021-22
2037-38	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2022-23
2038-39	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2023-24
2039-40	Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2024-25
2040-41	Minimum 55% of the steel used in vehicles in 2025-26
2041-42	Minimum 55% of the steel used in vehicles in 2026-27
2042-43	Minimum 55% of the steel used in vehicles in 2027-28
2043-44	Minimum 55% of the steel used in vehicles in 2028-29

2044-45	Minimum 55% of the steel used in vehicles in 2029-30
2045-46	Minimum 65% of the steel used in vehicles in 2030-31
2046-47	Minimum 65% of the steel used in vehicles in 2031-32
2047-48	Minimum 65% of the steel used in vehicles in 2032-33
2048-49	Minimum 65% of the steel used in vehicles in 2033-34
2049-50	Minimum 65% of the steel used in vehicles in 2034-35
2050-51 and onwards	Minimum 75% of the steel used in vehicles in 2035-36 for 2050-51 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 15 years ago

Note: 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

Provided Extended Producer Responsibility targets as mentioned above shall be fulfilled in case of waste categories generated from End-of-Life vehicles as per sub-rule (8) of rule 4.”.

(ix) For Form 1 of the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM 1

[see rule 4(1)(vii), 4(8), 4(9), 4(10)]

ANNUAL RETURN BY THE PRODUCER

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1	Name of producer:	
2	Registered address of producer, website address and contact details:	
3	Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4	GST No.	
5	TIN No.	
6	Compliance year for which annual return is being filed	

7. Year-wise details of vehicles placed in the market of the year on which Extended Producer Responsibility target is calculated for the compliance year and details of vehicles placed in the market in the Financial Year for which the annual returns are being filed, as per the Table given below:

Financial Year (…………)

Serial Number	Type	Brand name	No. of vehicles	Total Weight	Weight of steel in the vehicles (tonnes)	Weight of plastic in the vehicles (tonnes)	Weight of tyres in the vehicles (tonnes)	Weight of oil in the vehicles (tonnes)	Weight of electrical and electronic products in the vehicles (tonnes)	Weight of batteries in the vehicles (tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2 Wheeler (non-transport)									
2	3 Wheeler (non-transport)									
3	4 Wheeler (-non-transport)									
4	2 Wheeler (transport)									
5	3 Wheeler (transport)									
6	4 Wheeler (transport)									

8. Details of compliance of Extended Producer Responsibility target:

Compliance Year (FY ………….)

Serial Number	Waste category	Name of the producer for the respective waste category	Whether the EPR target is being fulfilled under these rules or any other EPR rules under EPA, 1986 (Please specify the name of rules)	Quantity to be fulfilled under Extended Producer Responsibility target (tonnes)	Details Extended Producer Responsibility certificates procured from RVSFs/ registered recyclers (tonnes)	Name of RVSF/ registered recycler (in case Extended Producer Responsibility certificates procured from more than one entity in a particular category of waste, please specify the details)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steel scrap					
2	Waste tyres					
3	Used oil					
4	E-waste					
5	Waste batteries					
6	Plastic waste					
Total						

Note: Columns (4), (5), (6) and (7) to be filled if the producer of vehicles is responsible for fulfilling EPR targets for the respective waste category.

9. Details of other steel scrap generated during manufacturing and handling of vehicles during the compliance year:

(i) Quantity generated (tonnes):

(ii) Quantity handed over to RVSF/recyclers (Please mention the details if the steel scrap has been handed over to more than one RVSF/recyclers)

Note.- Extended Producer Responsibility target compliance includes vehicles put to self-use by producers

Date:

Place:

Signature of the authorised person:”.

(x) After Form 8 of the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM 9

[see rule 4(i)(viii)]

DECLARATION BY THE PRODUCER

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1	Name of producer:	
2	Registered address of producer, website address and contact details:	
3	Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4	GST No.	
5	TIN No.	

6. Year-wise details of vehicles placed in the domestic market from the Financial Year ……………till Financial Year ……….. as per the Table given below:

Financial Year (………….)

Serial Number	Type	Brand name	No. of vehicles	Total Weight of vehicles (tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2 Wheeler (non-transport)			
2	3 Wheeler (non-transport)			
3	4 Wheeler (non-transport)			
4	2 Wheeler (transport)			
5	3 Wheeler (transport)			
6	4 Wheeler (transport)			
Total				

7. Year-wise details of quantity (in weight) of the components used in the vehicles placed in the domestic market from the Financial Year ……….. till Financial Year……… as per the Table given below:

Financial Year (…………)

Serial Number	Type	Weight of steel (tonnes)	Weight of plastic (tonnes)	Weight of tyres (tonnes)	Weight of oil (tonnes)	Weight of electrical and electronic products (tonnes)	Weight of batteries (tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2 Wheeler (non-transport)						
2	3 Wheeler (non-transport)						
3	4 Wheeler (-non-transport)						
4	2 Wheeler (transport)						
5	3 Wheeler (transport)						
6	4 Wheeler (transport)						
Total							

8. Details of any other producer, if any, liable for meeting Extended Producer Responsibility obligations for the following categories of waste generated from end-of-life vehicles:

Serial Number	Category of Waste	Name of Producer, if any, responsible for Extended Producer Responsibility obligations
(1)	(2)	(3)
1	Waste batteries	
2	Waste tyres	

3	Used oil	
4	E-waste	
5.	Plastic Waste	
6.	Other waste	

Note: Producers shall furnish the details of the vehicles introduced in the market from FY 2005-06 to FY 2025-26

Signature of the authorised person

Place:

Date:".

[F. No. HSM-23/55/2021-HSM-Part(1)]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.98 (E), dated the 6th January, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 22:39:16 +05'30'